तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5090/2005/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम छीतर	नम्बर व तारीख

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री बसन्त विजयवर्गीय, अधिवक्ता, प्रार्थी

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 26.11.2021

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी निगराकार का मुख्य तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो गई है। धारा 54जेडीए एक्ट के तहत राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार ही नहीं रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नहीं करने मात्र से वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं हो जाता है व अतिक्रमी व्यक्ति कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं रहता है। विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दू पर गौर ही नहीं किया। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2004 डीएलसी (2) राज. पेज 146
2. 2006 आरआरटी (1) आरबी पेज 623
3. 2012 आरआरटी (1) आरबी पेज 232
4. 2010 आरआरटी (1) आरबी पेज 157
5. 2018 आरआरटी (2) आरबी पेज 1037

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5090/2005/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम छीतर	नम्बर व तारीख

6. 1976 आरआरडी पेज 488

7. 2014–15 आरआरटी पेज 541

8. 2008 डब्ल्यूएलसी (1) एससी पेज 213

9. 1994 एआईआर एससी पेज 227

10. 1989 आरएलडब्ल्यू (2) पेज 380

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, पारित निर्णयों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21–4–2005 में यह माना है कि ‘‘हालांकि कब्जा बतौर अतिक्रमी है क्योंकि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में सरकारी भूमि अंकित है।’’ अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय ही वादी अप्रार्थी गैर निगराकार को अतिक्रमी मानता है फिर भी जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जबकि अतिक्रमी व्यक्ति न्यायालय से किसी प्रकार सहानुभूति व सहायता का अधिकारी नहीं है और यदि कोई सहायता या मदद अतिक्रमी को दी जाती है तो अतिक्रमण को बढावा देना ही होगा। Court should not helping land in Tresspas matter. और प्रार्थी अतिक्रमी होने से उसका कोई प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता है। 2004 डब्ल्यूएलसी (2) पेज 106 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि विवादित भूमि हाउसिग बोर्ड ने अवाप्त कर ली है तो अवाप्ति को चुनौती दिये बिना वादी को घोषणा का वाद लाने का अधिकार नहीं है। मौजूदा प्रकरण में स्वीकृत रूप से भूमि सरकारी है, जयपुर विकास प्राधिकरण में अवाप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी निगराकार/प्रतिवादी की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–4–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–09–2003 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय, जयपुर के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5090/2005/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम छीतर	नम्बर व तारीख
	प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	